कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

क्रमांक 14615 /स्था./एम.सी./विज्ञप्त /2019 रीवा, दिनांक 29.7.19

//विज्ञप्ति//

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति रीवा की स्वशासी संस्था के अधीन गैर शैक्षणिक संवर्ग के अन्तर्गत अस्पताल प्रबंधन के रिक्त पद की पूर्ति हेतु अर्हता धारी इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 7.9.2019

स.क्र.	पद का नाम	पद संख्या एवं श्रेणी	रोस्टर				एक मुस्त
			UR	ST	SC	OBC	
1.	उप रजिस्ट्रार	01	01	—	—	—	60,000/—
2.	अस्पताल प्रबन्धक	01	01	—	—	—	60,000/—
3.	अस्पताल सहायक प्रबन्धक	02	01	01	—	—	40,000/—
4.	बायोमेडिकल इंजीनियर	01	01	—	—	—	60,000/—

रिक्त पदों की शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अर्हताएं निम्नानुसार है :—

स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएँ	सेवानिवृत्ति की अधिवार्षिकी आयु
1	2	4	5	6
1.	उप रजिस्ट्रार	21 वर्ष	**Master of Hospital Administration/ Master of Hospital Management**	62 वर्ष
2.	अस्पताल प्रबन्धक	21 वर्ष	**Master of Hospital Administration/ Master of Hospital Management** (जिन्हें अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में 03 वर्षों का अनुभव हो)।	62 वर्ष
3.	सहायक अस्पताल प्रबन्धक	21 वर्ष	**Master of Hospital Administration/ Master of Hospital Management**	62 वर्ष
4.	बायोमेडिकल इंजीनियर	21 वर्ष	**B.E. (Biomedical Engineering)**	62 वर्ष

उक्त पदों हेतु एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 7.9.2019 तक प्राप्त आवेदन ही मान्य होगें।

- यह नियुक्ति म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय नियम सेवा आदर्श नियम के अधीन होगी।
- विज्ञापन से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा की वेबसाइट **www.ssmcrewa.com** पर उपलब्ध है। स्कूटनी एवं चयन प्रकिया से संबंधित जानकारी हेतु समय —समय पर संस्था की वेबसाइट का अवलोकन करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

नोटः–

1. आवेदक की आयु दिनांक 01.07.2019 को **21** वर्ष से कम नहीं होना चाहिये।
म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमांक सी 3–8/2016/1/3 दिनांक 04 जुलाई 2019 के अनुसार निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार होगी :–

- अनारक्षित पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए – **40 वर्ष**
- अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक /निःशक्तजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिये – **45 वर्ष**

2. पदों पर आरक्षण राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार रहेगा, आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।
3. आवेदक को उसके पद के अनुरुप कर्तव्यों का तथा समय–समय पर सौपें गये प्रशासनिक एवं अन्य दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
4. आवेदक आवेदन पत्र में वांछित दस्तावेज संलग्न करें। अपूर्ण आवेदन पत्र को अमान्य किया जावेगा तथा किसी भी तरह का पत्राचार मान्य नहीं होगा।
5. आवेदक पूर्व से जिस संस्था में कार्यरत है उस संस्था की सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा चयनित होने की स्थिति में त्यागपत्र स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। एवं अन्य अभ्यर्थी जो किसी भी संस्था में कार्यरत नहीं हैं को रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चयन प्रकिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
6. निरर्हताएं :–

   1. विकृत चित्त वाला होने पर।
   2. दुश्चरित्र होने पर।
   3. शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
   4. नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा – किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।
   5. विवाह संबंधी – जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।
   6. दिनांक 26.01.2001 के पश्चात् जिस उम्मीदवार के जीवित बच्चों की संख्या 02 से अधिक हो गयी हो वह चयन के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा 26 जनवरी 2001 के पश्चात् आगामी प्रसव में 02 या 02 से अधिक संतान का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिये अनर्ह नहीं होगा।
   7. कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
   8. कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

निरंतर–03

9. ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
10. स्वास्थ्य संबंधी – चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।

7. सेवाएं किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या सेवा छोड़ने पर एक माह का वेतन तथा भत्ते के बराबर देय राशि संस्था में जमा करनी होगी अन्यथा संबंधित व्यक्ति से भू–राजस्व की बकाया राशि की भांति वसूली योग्य होगी।
8. राजनैतिक अथवा किसी भी अवैधानिक गतिविधियों मे भाग लने की अनुमति नहीं होगी।
9. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वैरीफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वैरीफिकेशन/चरित्र सत्यापन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवाएं समाप्त की जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।
10. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थय परीक्षण कराना होगा, एवं परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण करने नहीं दिया जायेगा।
11. नियुक्ति इस संस्था के सेवाशर्तों के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
12. एक बार संस्था में नियुक्ति होने के पश्चात् सेवायें अन्य संस्थाओं को स्थानांन्तरित नहीं होंगी।
13. **आवेदन शुल्कः**– सामान्य वर्ग के लिये रुपये 1000/– तथा आरक्षित वर्ग (अ.ज.जा, अ.जा. अ.पि.वर्ग) के लिये रुपये 750/– निर्धारित शुल्क एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से जमा की जावेगी।
14. स्कूटनी परिणाम एवं चयन प्रकिया से संबंधित जानकारी संस्था की वेबसाईट पर अपलोड की जायेगी। अद्यतन जानकारी के लिये वेबसाईट का निरंतर अवलोकन करें।

महत्वपूर्ण टीप :–

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी के वे अपने पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताएं और शर्तों को पूरा करें। अतः आवेदन करने से पहले आवेदक अपनी अर्हताओं की जानकारी स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्त पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। आवेदक की जानकारी गलत पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी तथा उसकी दावेदारी समाप्त मानी जाएगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की विभागीय/अन्य जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो कि आवेदन के प्रारुप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

आवेदन का प्रारूप

अस्पताल प्रबंधन के पद (उप रजिस्ट्रार/अस्पताल प्रबंधक/अस्पताल सहायक प्रबंधक/बायोमेडिकल इंजीनियर)के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन–पत्र

नोटः सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

विज्ञापन क्र. .... दिनांक ....

स्वप्रमाणित फोटो

1. आवेदक का नाम ....
2. पुरूष/महिला ....
3. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित) ....
4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित) ....

   ....

   शहर का नाम .... फोन नं. ....

   मोबाइल नं. .... ईमेलआईडी ....
5. स्थाई पता ....

   ....

   शहर का नाम .... फोन नं. ....

   मोबाइल नं. ....
6. आधार कार्ड नम्बंर (हो तो) ....
7. जन्मतिथि (**हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें**) ....
8. दिनांक .... को आवेदक की आयु ....दिन .... माह .... वर्ष
9. आवेदक की वैवाहिक स्थिति– विवाहित/अविवाहित
10. विवाह का दिनांक– ....
10. विवाहित होने की स्थिति में संतान संख्या ....
11. वर्ग : अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग / विकलांग .... (**आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें**)
12. रोजगार पंजीयन में जीवित पंजीयन कमांक ....
13. शैक्षणिक योग्यताऐं:– (प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

पद के अनुसार योग्यता अंकित करें।

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/ वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्राप्तांक प्रतिशत	प्रयास (Attempt)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							

(प्रत्येक वर्ष का पृथक–पृथक भरे)

14. **अनुभव :–**

क्रमांक	पदनाम	संस्थान का नाम	कब से	कब तक	कुल अवधि
1					
2					
3					

15. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्रों की सूची :–

1. जन्मतिथि के लिये कक्षा 10वीं की अंकसूची।
2. स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री संबंधी विषय में।
3. निवास प्रमाण पत्र।
4. जाति प्रमाण पत्र।
5. आधार कार्ड।
6. अन्य प्रमाण पत्र/अंकसूची इत्यादि।

स्थान.............................. आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

दिनाँक.............................

//घोषणा–पत्र//

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मेरे विरूद्ध पुलिस प्रकरण में एफ आई आर दर्ज नहीं है, और मेरे विरूद्ध कोई विभागीय जांच प्रचलन में नहीं है।
3. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध मे किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरूद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय मे विचाराधीन है।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर